



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झाँसी

(भारत सरकार का उपक्रम)

विज्ञापन संख्या 03/2020, दिनांक 29.12.2020

बीएचईएल झाँसी, शिशिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार सत्र 2020-21 हेतु, डिप्लोमा / डिग्री (इंजीनियरिंग) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निम्नवत तकनीशियन/स्नातक शिशिक्षु प्रशिक्षण (Technician/Graduate Apprenticeship) हेतु आवेदन आमंत्रित करता है:-

क्र.सं	शाखा	रिक्तियाँ	प्रशिक्षण अवधि	अनिवार्य अर्हताएं
1	इलेक्ट्रिकल	06	एक वर्ष	<p>1. अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2021 तक 18 वर्ष से कम तथा 27 वर्ष से अधिक न हो। आयु की ऊपरी सीमा में छूट शासकीय नियमान्तर्गत दी जायेगी।</p> <p>2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से तीन /चार वर्ष में नियमित अभ्यर्थी के रूप में डिप्लोमा / डिग्री, इंजीनियरिंग तालिका में दर्शायी शाखाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, एवं मोर्डन ऑफिस मैनेजमेंट एंड सैकेट्रियल / प्रैक्टिस के लिए दो वर्ष का डिप्लोमा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।</p> <p>3. डिप्लोमा / डिग्री इंजीनियरिंग, में प्राप्त अंक प्रतिशत: अ. सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग - 60% या इससे अधिक ब. अनुसूचित जाति/ जन जाति - 55% या इससे अधिक</p> <p>4. इस आवेदन के पूर्व किसी संस्था में शिशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो अथवा प्रशिक्षण हेतु नाम पंजीयन नहीं हुआ हो।</p> <p>5. www.mhrdnats.gov.in में भी पंजीकृत होना अनिवार्य है।</p> <p>नोट: दुरस्थ शिक्षा/पत्राचार पद्धति के तहत अर्जित बी.ई. / बी.टेक. डिप्लोमा/ डिग्री इंजीनियरिंग, शिक्षता प्रशिक्षण (अप्रैटिस ट्रेनिंग) के लिये मान्य नहीं होगी।</p>
2	मैकेनिकल	09	एक वर्ष	
3	इलेक्ट्रॉनिक्स	06	एक वर्ष	
4	इन्सट्रुमेंटेशन और कण्ट्रोल	02	एक वर्ष	
5	सिविल	02	एक वर्ष	
6	कम्प्युटर एप्लीकेशन	04	एक वर्ष	
7	मोर्डन ऑफिस मैनेजमेंट एंड सैकेट्रियल / प्रैक्टिस	01	एक वर्ष	
	कुल पद	30		

नोट :

- ऐसे आवेदक जिन्होंने अपनी बीई/बीटेक डिप्लोमा/ डिग्री (इंजीनियरिंग) की परीक्षा वर्ष **2018** के पूर्व उत्तीर्ण की है वे शिक्षता प्राशिक्षण के लिए पात्र नहीं हैं। अतः ऐसे अभ्यर्थी आवेदन न करें। भेल झाँसी के कर्मचारियों (मृतक / सेवानिवृत्त / कार्यरत) के आश्रितों (पुत्र/ पुत्री/ पति/ पत्नी) को **03 वर्ष** की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी संस्थान से, उक्त 01 वर्षीय शिक्षता प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वे अभ्यर्थी इस प्रशिक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे। अतः ऐसे अभ्यर्थी आवेदन न करें।

आयु में छूट : आवेदन करने की ऊपरी सीमा में छूट निम्नानुसार दी जायेगी :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	दिव्यांग
5 वर्ष	3 वर्ष	10 वर्ष

- बी.एच.ई.एल. झाँसी के कर्मचारियों (मृतक / सेवानिवृत्त / कार्यरत) के आश्रितों (पुत्र/ पुत्री/ पति/ पत्नी) को उच्चतम आयु सीमा में **03 वर्ष** की अतिरिक्त छूट दी जायेगी।

आरक्षण: चयन प्रक्रिया में निम्नानुसार आरक्षण दिया जायेगा:

अनुसूचित जाति (1:5)	अनुसूचित जन जाति (1:100)	अन्य पिछड़ा वर्ग (27%)	आर्थिक पिछड़ा वर्ग (10%)	अनारक्षित	कुल
6	1	8	03	12	30

- ❖ आवेदकों, जिनकी न्यूनतम विकलांगता 40% हो, हेतु 4% आरक्षण क्षैतिज आधार पर है। छूट प्राप्त करने हेतु आवेदकों द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाणपत्र जमा करना आवश्यक है।
- ❖ आर्थिक कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिये 10% आरक्षण का प्रावधान है। छूट प्राप्त करने हेतु आवेदकों द्वारा कम से कम तहसीलदार के पद पर आसीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आर्थिक कमजोर वर्ग प्रमाणपत्र जमा करना आवश्यक है।
- ❖ बी.एच.ई.एल. झांसी के सेवा काल में मृतक कर्मचारियों, नियमित एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों (पुत्र,पुत्री/पति/पत्नी), के लिए अधिकतम 20% रिक्तियां आरक्षित है।

चयन प्रक्रिया:

- चयन, **वरियता सूची (Merit List)** के आधार पर किया जायेगा।
वरियता सूची निर्धारण हेतु विधि :-
योग्यता सूची निम्न के आधार पर तैयार की जायगी।
 - हाई स्कूल - 50% (प्राप्तांक प्रतिशत का 50%)
 - डिप्लोमा/ डिग्री (इंजीनियरिंग) - 50% (प्राप्तांक प्रतिशत का 50%)
 - कुल अंक = i + ii
- ❖ उपरोक्त चयन हेतु समस्त सूचनाएं हमारी वेबसाइट <https://jhs.bhel.com> द्वारा दी जायेगी। **अन्य किसी प्रकार के, सूचना के माध्यम का प्रयोग नहीं किया जायेगा।**

सामान्य निर्देश

- ❖ चयन प्रक्रिया के दौरान अथवा चयनोपरांत अहर्ताओं को पूर्ण नहीं किये जाने पर, निर्धारित दस्तावेज प्राप्त न होने पर, संबंधित दस्तावेज गलत पाये जाने पर अथवा किसी भी प्रकार की घोषणा गलत पाये जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी/प्रशिक्षण किसी भी समय बिना किसी कारण बताए निरस्त की जा सकती है।
- ❖ रिक्तियों की यह संख्या केवल अंतरिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। तदनुसार विभिन्न वर्गों/श्रेणियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या भी पुनरीक्षित की जा सकती है।
- ❖ प्रशिक्षण बी.ए.टी कानपुर में पंजीयन होने पर आधारित है, यदि किसी कारण पंजीयन नहीं हो पाता है तो आपको प्रशिक्षण से मुक्त कर दिया जाएगा।
- ❖ बी.एच.ई.एल. झांसी के प्रबंधन के पास बिना कोई कारण दिए चयन प्रक्रिया के संशोधन/ पुनर्निर्धारण/ निरस्त/ निलंबन करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ❖ विज्ञापन और/अथवा भेजे गए आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही के निपटारे हेतु झांसी तथा झांसी स्थित न्यायालय/अधिकरण/फोरम को ही इसका एकमात्र अनन्य अधिकार होगा।

- ❖ आवेदक, चयन हेतु बी.एच.ई.एल द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
- ❖ चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व, शिशिक्षु अधिनियम, 1961 एवं सम्बंधित नियम के तहत निर्धारित प्रारूप में, सक्षम चिकित्साधिकारी के द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण निर्धारित स्वास्थ्य मानकों पर खरा उतरने पर निर्भर करेगा।
- ❖ चयनित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों से किसी भी तरह का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ❖ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का दिनांक 01.04.2016 से पूर्व जारी हुआ जाति प्रमाण पत्र, या वैधता समाप्त हुआ जाति प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा।
- ❖ **प्रशिक्षण के उपरांत बी.एच.ई.एल. झांसी किसी भी अभ्यर्थी को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।**

आवेदन कैसे करें

स्टेप-1:-

सर्वप्रथम www.mhrdnats.gov.in रजिस्ट्रेशन करें। उक्त रजिस्ट्रेशन के उपरांत शिशिक्षुओं को रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त होगा। रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड, डिप्लोमा/ डिग्री के अंतिम वर्ष की अंकतालिका की मूल प्रति तथा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। शिशिक्षुओं को सलाह दी जाती है कि वे उक्त रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति आगामी कार्यवाही के लिए सुरक्षित रखें।

स्टेप- 2: -

तदोपरान्त, उक्त रजिस्ट्रेशन नम्बर का उपयोग करते हुए आवेदक बीएचईएल झांसी की वेबसाइट <https://jhs.bhel.com> पर "Technician & Graduate Apprentice 2019-20" के अंतर्गत उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र (Apply Online) भरें।

नोट:- किसी भी अन्य प्रकार से आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।

ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्णतः भरने के पश्चात पावती पत्र की प्रिंट (Acknowledgement Slip), आवश्यक दस्तावेजों सहित, डाक (केवल स्पीड पोस्ट अथवा साधारण डाक) द्वारा, अंतिम तिथि **23.01.2021** से पूर्व, उप. प्रबंधक (मा.सं.), भर्ती अनुभाग, मानव संसाधन विभाग, प्रशासनिक भवन, बी.एच.ई.एल. झांसी (उत्तर प्रदेश)- 284120, पर भेजे। निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

- ❖ पावती पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित छाया प्रति संलग्न कर भेजना अनिवार्य है।
 - हाई स्कूल अंक तालिका (स्वप्रमाणित)
 - हाई स्कूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि अंकित हो) अथवा जन्म प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित)।
 - डिप्लोमा / डिग्री (इंजीनियरिंग) के सभी वर्षों/ सेमिस्टर्स कि मार्कशीटों एवं डिग्री की छायाप्रती (स्वप्रमाणित)।
 - अनुसूचित जाति/ जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग / शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र/आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र – आर्थिक कमजोर वर्ग हेतु, (यदि लागू हो)
 - वेबसाइट www.mhrdnats.gov.in में पंजीकृत होना अनिवार्य है एवं पंजीयन नं. का प्रिंट आउट।
 - शारिरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र (जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी)।

- आवेदक यदि बी.एच.ई.एल झांसी के वर्तमान/ मृतक कर्मचारियों के पुत्र/ पुत्री/ पति/ पत्नी हो तो उन्हें निम्न में से किसी एक दस्तावेज की प्रति संलग्न करना होगा:-
 - कर्मचारी माता/पिता/पति/पत्नी के मेडिकल टोकन की प्रति जिसमें आवेदक का नाम व फोटो अंकित हो।
 - कर्मचारी माता/पिता/पति/पत्नी की मृत्यु उपरान्त जारी कार्यालय भाग-2 आदेश की प्रति एवं साथ में कोई ऐसा दस्तावेज जिससे मृतक कर्मचारी एवं आवेदक का संबंध अंकित हो।
- ❖ Fax, Email या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- ❖ ऑन लाइन आवेदन भरने हेतु वेबसाइट दिनांक **01.01.2021 से 16.01.2021** तक खुली रहेगी।
- ❖ आवेदन से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिये दूरभाष 0510-2412404/2412416 पर संपर्क किया जा सकता है।
